प्राधिकरण के माध्यम से भगवान का निर्माण

संकेत प्रधानमंत्री के. शाह

वी.

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरदार सरोवर नर्मदा

एन. आई. जी. ए. एम. लि. & एएनआर।

(2015 की सिविल अपील सं. 14665)

06 जनवरी, 2021

[एन. वी. रमना, सूर्या कान्ट और हृषिकेश रॉय, जे. जे।]

भारत का संविधान, 1950-कला। 226 और 227-मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप-दायरा-एक अनुबंध से उत्पन्न विवाद

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच सं। 1 - अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड था-अपीलार्थी द्वारा नियुक्त प्रतिवादी सं। 2 एकमात्र मध्यस्थ के रूप में-प्रत्यर्थी सं. 1 यू / एकमात्र मध्यस्थ की अधिकारिता पर विवाद करने वाले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 को खारिज कर दिया गया-प्रत्यर्थी सं. 1 - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति-क्या मध्यस्थता प्रक्रिया में यू/आर्ट के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है। 226/227 , और किस परिस्थिति में आयोजित किया गयाः उत्तरदाता संख्या 1 ने आक्षेप करने का विकल्प चुना

एक याचिका के माध्यम से मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश यू/Art.226/227 जब सामान्य पाठ्यक्रम में, मध्यस्थता अधिनियम यू/चुनौती देने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है धारा 34-जब शिकायतों के निवारण के लिए कानून द्वारा एक सांविधिक मंच बनाया जाता है, तो सांविधिक वितरण की अनदेखी करते हुए एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए-एक न्यायाधीश के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह अधिनियम के तहत स्थापित प्रक्रिया से परे न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग न करे इस शक्ति का प्रयोग असाधारण दुर्लभता में किया जाना चाहिए, जिसमें एक पक्ष को क़ानून के तहत उपचारहीन छोड़ दिया जाता है या किसी एक पक्ष द्वारा स्पष्ट 'बुरा विश्वास' दिखाया जाता है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय द्वारा कला/उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को अनिवार्य करने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है। 226 और 227-उच्च न्यायालय को मध्यस्थता प्रक्रिया को उस स्तर पर बाधित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था जब एकमात्र मध्यस्थ के विवादित आदेश के बाद, उसके द्वारा योग्यता के आधार पर एक अंतिम निर्णय दिया गया था, जिसे पहले से ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अलग धाराओं में चुनौती दी गई है। 34 आवेदन, और जो लंबित है-यदि न्यायालयों को अधिनियम के दायरे से परे हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रक्रिया की दक्षता कम हो जाएगी-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996।

[2021] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 · अधिनियम की रूपरेखा एस में गैर-बाधा खंड। 5 अधिनियम की-व्याख्या और प्रभाव-आयोजितः अधिनियम अपने आप में एक संहिता है-एस में गैर-बाधा खंड। 5 अधिनियम का प्रावधान UNCITRAL मॉडल कानून और नियमों को अपनाने के लिए प्रस्तावना में दिए गए विधानमंडल के इरादे को बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके, जिस पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है-यह ढांचा स्पष्ट रूप से अधिनियम के दायरे में आने वाले अधिकांश मुद्दों को संबोधित करने के इरादे को दर्शाता है, जिसमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए किसी भी अतिरिक्त वैधानिक तंत्र की गुंजाइश नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अपने आप में एक संहिता है। धारा 5 में गैर-अवरोधक खंड

मध्यस्थता अधिनियम विधायिका के इरादे को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है जैसा कि UNCITRAL को अपनाने के लिए प्रस्तावना में प्रदान किया गया है।

अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए आदर्श कानून और नियम, जिन पर मध्यस्थता अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम स्वयं एक मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं और मंच प्रदान करता है। यह ढांचा स्पष्ट रूप से अधिनियम के दायरे में आने वाले अधिकांश मुद्दों को संबोधित करने के इरादे को दर्शाता है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त के लिए गुंजाइश नहीं है।

न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए वैधानिक तंत्र। कोई भी पक्ष मध्यस्थता करने में सक्षम किसी भी विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता समझौता कर सकता है। इस तरह के समझौतों में प्रवेश करते समय पार्टियों को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रदान किए गए बुनियादी तत्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, पक्षों को न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी प्रक्रिया के लिए सहमत होने के लिए एक लचीला ढांचा प्रदान करता है मध्यस्थता अधिनियम। यदि पक्ष अपने द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने या मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो एक पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत अदालत की सहायता के लिए सहारा ले सकता है। [पारस 11,12,13 और 14] [10-डी-एच; 11-ए-बी]

2.1 . अपीलार्थी ने एकतरफा नियुक्ति के लिए समझौते के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया।

मध्यस्थ, प्रत्यर्थी संख्या 1 के बिना उस स्तर पर न्यायिक चुनौती देता है। उत्तरदाता संख्या 1 तब एकमात्र भावेन कॉन्स्ट, टी. एच. आर. के समक्ष उपस्थित हुआ।

एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड।

मध्यस्थ और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताने का फैसला किया। सामान्य पाठ्यक्रम में, मध्यस्थता अधिनियम धारा 34 के तहत चुनौती देने का एक तंत्र प्रदान करता है। धारा 34 का प्रारंभिक चरण

'माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है'। प्रावधान के तहत होने वाले 'केवल' शब्द का उपयोग दो उद्देश्यों को पूरा करता है

अधिनियम को एक पूर्ण संहिता बनाना और प्रक्रिया निर्धारित करना। [पैरा 15,16] [11-बी-ई]

2.2 . यद्यपि हमारे कानूनी ढांचे में पदानुक्रम यह आदेश देता है कि एक विधायी अधिनियम एक संवैधानिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है,

हालाँकि, यह कहना एक बात है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय राज्य और/या उसकी एजेंसी/साधन या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकाय/प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश या कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है, और यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि प्रत्येक

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विचार किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है। बल्कि, यह तय किया गया कानून है कि जब शिकायतों के निवारण के लिए कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है, तो एक रिट याचिका नहीं होनी चाहिए वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए मनोरंजन किया गया। इसलिए, न्यायाधीश के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह अधिनियम के तहत स्थापित प्रक्रिया से परे न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग न करे। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण दुर्लभता में करने की आवश्यकता है, जिसमें एक पक्ष को क़ानून के तहत उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है या एक पक्ष द्वारा दिखाया गया स्पष्ट 'बुरा विश्वास' होता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित यह उच्च मानक विधायी इरादे के संदर्भ में है

मध्यस्थता निष्पक्ष और कुशल। [पैरा 17] [11-ई-एच; 12-ए-डी]

2.3 . तत्काल मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से असाधारण परिस्थिति या 'बुरा विश्वास' नहीं दिखाया गया है

अपीलार्थी, [2021] 1 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 227 के तहत उपचार का आह्वान करने के लिए।

एकमात्र मध्यस्थ के आक्षेपित आदेश के बाद एक स्तर पर मध्यस्थता प्रक्रिया को बाधित करने की अंतर्निहित शक्ति, एक अंतिम पुरस्कार उनके द्वारा योग्यता के आधार पर प्रदान किया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अलग धारा 34 आवेदन में चुनौती दी गई है, जो लंबित है। [पैरा 19] [13-बी-डी]

3.1 . एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्यस्थता प्रक्रिया

समय सीमा पर सख्ती से वातानुकूलित है और 'अटूटता के सिद्धांत' पर आधारित है। समय-सीमा की इस "अटूटता" और मध्यस्थता पुरस्कारों की "निश्चितता और समीचीनता" के अनुसार, तीन महीने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद सामने आने वाले पुरस्कार को अलग करने के लिए कोई भी आधार नहीं हो सकता है।

उठाया गया। यदि न्यायालयों को अधिनियम के दायरे से परे मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रक्रिया की दक्षता कम हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सीमाओं की सराहना नहीं की और तर्क दिया कि अपीलार्थी ने एकतरफा रूप से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का बीड़ा उठाया था, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 उपचारहीन हो गया था। हालांकि, मध्यस्थता समझौते का एक सादा अध्ययन इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अपीलार्थी ने वास्तव में कार्रवाई की थी

बिना किसी दुर्भावना के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। [पैरा 20,21] [13-डी-एच; 14-ए-ई]

3.2 . प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के खिलाफ कानूनी सहारा नहीं लिया, बल्कि प्रस्तुत किया

उसी के लिए धारा 34 के तहत एक चुनौती को प्राथमिकता दी। प्रत्यर्थी संख्या 1 कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखा पाया है, जो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को अनिवार्य करता है। [पैरा 22] [14-ई-जी] भावेन कॉन्स्ट, टीएचआर।

एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड।

4.1 . उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आगे राय दी

कि पक्षों के बीच अनुबंध एक कार्य अनुबंध की प्रकृति का था क्योंकि इसमें कहा गया था कि अनुबंध के तहत आवश्यकतानुसार ईंटों का निर्माण केवल एक सहायक दायित्व था, जबकि अपीलार्थी पर प्राथमिक दायित्व ईंटों की आपूर्ति करना था। इसलिए खंड पीठ ने निर्णय दिया कि गुजरात लोक निर्माण विभाग

अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992 का क्षेत्र है, और मध्यस्थता अधिनियम नहीं। [पैरा 23] [14-जी-एच; 15-ए-बी]

4.2 . गुजरात अधिनियम 1992 में विवादों के मध्यस्थता के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। विशेष रूप से कार्य अनुबंध से उत्पन्न होता है जिसमें राज्य सरकार या एक सार्वजनिक उपक्रम एक पक्ष है। गुजरात अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत एक कार्य अनुबंध को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में अपने भीतर संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध शामिल है -

धारा के तहत निर्दिष्ट किसी भी कार्य का निष्पादन। हालांकि, पक्षों के बीच अनुबंध का एक सादा अध्ययन इंगित करता है कि यह ईंटों के निर्माण के साथ-साथ आपूर्ति दोनों के लिए था। महत्वपूर्ण रूप से, निर्माण सरलीकरण के लिए अनुबंध धारा के तहत प्रदान की गई परिभाषा के तहत एक कार्य अनुबंध नहीं है।

2 (के)। इसलिए प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अनुबंध, जो प्रकृति में समग्र है, गुजरात अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत एक कार्य अनुबंध के दायरे में आता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए संविदात्मक व्याख्या की आवश्यकता है, और यह साक्ष्य का विषय है, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों ने इस मुद्दे के संबंध में विरोधाभासी रुख अपनाया है। यह एक स्थापित कानून है कि ऐसे मामलों में अनुबंधों की व्याख्या आम तौर पर रिट क्षेत्राधिकार में नहीं की जाएगी। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि गुजरात अधिनियम लागू हो सकता है, रिट अदालतों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की याचिका पर विचार करें। [पैरा 24] [15-ए-ई] 5. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 अनिवार्य रूप से यह आदेश देती है कि अधिकारिता के मुद्दे को पहले न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए,

न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत इसकी जांच की जाती है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को बिना उपचार के नहीं छोड़ा गया है, और वैधानिक रूप से अपील करने का अवसर प्रदान किया गया है। द ड्रिल ऑफ सेक्शन

16 अधिनियम का यह है कि जहां धारा 16 का आवेदन खारिज किया जाता है, [2021] 1 एस. सी. आर.

कोई अपील प्रदान नहीं की गई है और धारा 16 को चुनौती दी गई है।

खारिज किए जाने वाले आवेदन को अंतिम निर्णय के पारित होने का इंतजार करना चाहिए, जिस स्तर पर इसे धारा 34 के तहत उठाया जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उपलब्ध अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने में गलती की। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 लंबित धारा 34 की कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के संबंध में किसी भी कानूनी रूप से स्वीकार्य आपत्तियों को उठाने के लिए स्वतंत्र है। [पारस 25,26] [15-ई-एच; 16-ए-सी]

निवेदिता शर्मा बनाम। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2011) 14 एस. सी. सी. 337; एम / s.Deep इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1602; पी. राधा बाई बनाम। पी. अशोक कुमार

(2019) 13 एससीसी 445: [2018] 12 एस. सी. आर. 143-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(2011) 14 एस. सी. सी. 337

उ

स पर भरोसा करें

पैरा 17

[2018] 12 एससीआर 143

उ

स पर भरोसा करें

पैरा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 14665

2015 से।

उच्च के 17.09.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 400 में 2006 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 182 में अहमदाबाद में गुजरात का न्यायालय।

पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्विश मलकान, सुश्री दीपा

उपस्थित दलों के लिए गोरसिया, जितेंद्र मणिलाल मलकान, सुश्री जेसल वाही, सुश्री हेमंतिका वाही।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे.

1. यह दीवानी अपील संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

भारत में मध्यस्थता कानून और सार्वजनिक कार्य अनुबंध से संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित विशेष अधिनियम।

2. इस मामले में तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है

मामले का निपटारा। 13.02.1991 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ईंटों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अपीलार्थी के साथ एक अनुबंध किया। उपरोक्त अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड था। जैसे-जैसे कुछ विवाद पैदा हुआ हैवैन कॉन्स्ट।

टीएचआर। एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। एनजीआर। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

रिक्स के निर्माण और आपूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान करते हुए, अपीलार्थी ने 13.11.1998 दिनांकित एक नोटिस जारी किया, जिसमें अनुरोध किया गया थासमझौते के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ का निर्देश। का खंड 38

किसी भी समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान निम्नानुसार है:

खंड 38-मध्यस्थता

जिन सभी विवादों या मतभेदों के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है, उन्हें मध्यस्थता के लिए एकल न्यायालय को भेजा जाएगा।

निम्नलिखित रूप में नियुक्त मध्यस्थः

विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के अपने इरादे की ठेकेदार से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मुख्य अभियंता ठेकेदार को सरकार द्वारा मध्यस्थ नियुक्ति की सूची में से तीन अधिकारियों की सूची भेजेगा। ठेकेदार इस सूची की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य अभियंता को सूची से उस व्यक्ति का नाम चुनेगा और बताएगा जिसे तब एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर अपने नाम के चयन के बारे में बताने में विफल रहता है, मुख्य अभियंता बिना किसी देरी के सूची से एक अधिकारी का चयन करेगा और उसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। यदि मुख्य अभियंता निर्धारित तीस दिनों के भीतर ऐसी सूची भेजने में विफल रहता है, तो ठेकेदार पंद्रह दिनों के भीतर मुख्य अभियंता को ऐसी ही सूची भेजेगा।

मुख्य अभियंता तब सूची से एक अधिकारी का चयन करेगा और पंद्रह दिनों के भीतर उसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। अगर मुखिया

इंजीनियर ऐसा करने में विफल रहता है तो ठेकेदार को सूचित करना होगा

मुख्य अभियंता सूची में से एक अधिकारी का नाम, तब एकमात्र मध्यस्थ कौन होगा।

मध्यस्थता का संचालन भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 या किसी भी वैधानिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

उसका संशोधन। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ करेगा

किसी भी पक्ष को मध्यस्थता की लागत की राशि का निर्धारण करना।

अनुबंध के तहत निष्पादन मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ठेकेदार द्वारा देय भुगतान

मालिक को तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि वे विषय न हों।

मध्यस्थता कार्यवाही।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी पुरस्कार लिखित रूप में और पुरस्कारों के मामले में होंगे।

रु. की राशि। 1.00 एक लाख और उससे अधिक के ऐसे पुरस्कारों में कहा जाएगा कि

पुरस्कार राशि के कारण।

किसी भी पक्ष को मध्यस्थता का दावा करने का अधिकार नहीं है यदि -

तीस की समाप्ति से पहले मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई है। दोष देयता अवधि के कुछ दिन बाद।

(जोर दिया गया)

3. उत्तरदाता संख्या 1, दिनांकित 23.11.1998 और 04.01.1999 के उत्तरों द्वारा,

दो मुख्य आधारों पर अपीलार्थी के अनुरोध से सहमत नहीं थेः

कि मध्यस्थता आयोजित करने के लिए सहमत था

ए।

भारतीय मध्यस्थता के प्रावधान के अनुसार

अधिनियम और उसका कोई वैधानिक संशोधन। तदनुसार, गुजरात राज्य ने गुजरात लोक निर्माण को पारित कर दिया था

अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992

(इसके बाद "गुजरात अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। इसलिए, पक्षों के बीच विवाद होना था

उपरोक्त कानून के अनुसार निर्णय लिया गया।

बी। कि मध्यस्थता समय बाधित थी, खंड 38 के रूप में

अनिवार्य किया कि कोई भी पक्ष दावा करने का हकदार नहीं था यदि

समाप्ति से पहले मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई है।

दोष देयता अवधि के तीस दिन बाद।

4. किसी भी मामले में, अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 2 को कार्य करने के लिए नियुक्त किया

विवादों के निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मध्यस्थता की धारा 16 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी और 1996 का सुलह अधिनियम (इसके बाद मध्यस्थता के रूप में संदर्भित)

अधिनियम ") एकमात्र मध्यस्थ की अधिकारिता पर विवाद करना। 20.10.2001 पर, एकमात्र मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि एकमात्र मध्यस्थ के पास विवाद का निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था।

5. एकमात्र मध्यस्थ, प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश से व्यथित

गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत 2002 का विशेष नागरिक आवेदन संख्या 400 को प्राथमिकता दी गई। एकल न्यायाधीश ने विशेष सिविल आवेदन को खारिज करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

" ..... इस स्तर पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में v.

मेहूल भावेन कॉन्स्ट। टीएचआर। एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

निर्माण कंपनी, (2000) 7 एस. सी. सी. 201 पर भी एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ विचार किया जाना आवश्यक है। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2005)

8 एससीसी 618। के उपरोक्त दो निर्णयों पर विचार करते हुए

माननीय उच्चतम न्यायालय और कानून की धारा 16 (4) के तहत विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवादी नं. 2 एकमात्र मध्यस्थ के रूप में और उसे चुनौती देते हुए

एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति, यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उक्त आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और/या उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्णय पारित होने तक प्रतीक्षा करना है और -

अधिनियम की धारा 34 के तहत इसे चुनौती दें।

6. एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विशेष सिविल में 2006 की पेटेंट अपील संख्या 182 को प्राथमिकता दी।

2002 का आवेदन सं. 400। गुजरात के उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.09.2012 के विवादित आदेश द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया और निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 11. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अनुबंध एक "कार्य अनुबंध" है और याचिकाकर्ता द्वारा उस "मंच" के बारे में जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक विवाद उठाया जाता है जिसमें विवाद का निर्णय लिया जाता है। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि खंड-38 को देखते हुए, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 'भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 का प्रावधान और उसका कोई वैधानिक संशोधन लागू होगा', प्रत्यर्थी एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता है और उसके बाद यह तर्क नहीं दे सकता है कि अब जब मध्यस्थ पहले ही नियुक्त हो चुका है और वह (मध्यस्थ) पहले ही शक्ति का प्रयोग कर चुका है

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत, याचिकाकर्ता को 1996 की धारा 34 और धारा 37 के तहत इसे चुनौती देने के लिए मध्यस्थता पुरस्कार पारित होने तक इंतजार करना पड़ता है।

अधिनियम "।

7. पीड़ित, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की।

8. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने में गलती की

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत। तथ्य यह है कि अंतिम [2021] 1 एस. सी. आर.

पुरस्कार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया है और अब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई है जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के तहत निर्धारित ढांचे को दरकिनार करने के प्रयास को दर्शाता है

मध्यस्थता अधिनियम। वे इंगित करते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) यह आदेश देती है कि एकमात्र मध्यस्थ के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था

अधिकारिता का प्रारंभिक मुद्दा, जिसे केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। 9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि गुजरात अधिनियम के अधिनियमन के बाद से, कार्य अनुबंध से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को एक मध्यस्थता को दरकिनार करने के लिए हमेशा खुला था जो एक शून्य था क्योंकि यह राज्य अधिनियम के साथ संघर्ष में था।

10. दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद, जिस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या

संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है, और किस परिस्थिति में?

11. हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता अधिनियम अपने आप में एक संहिता है। यह वाक्यांश केवल अनुचित नहीं है, बल्कि इसके निश्चित कानूनी परिणाम हैं। ऐसा एक परिणाम मध्यस्थता की धारा 5 के तहत स्पष्ट किया गया है।

अधिनियम, जिसके तहत कहा गया है, "तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया हो।" गैर-बाध्यकारी खंड का प्रावधान विधायिका के इरादे को बनाए रखने के लिए किया गया है जैसा कि प्रस्तावना में UNCITRAL मॉडल कानून और नियमों को अपनाने के लिए प्रदान किया गया है, ताकि अत्यधिक न्यायिक क्षमता को कम किया जा सके।

हस्तक्षेप जो मध्यस्थता अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। 12. मध्यस्थता अधिनियम स्वयं एक मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं और मंच प्रदान करता है। रूपरेखा स्पष्ट रूप से

न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए किसी भी अतिरिक्त वैधानिक तंत्र की गुंजाइश के बिना, अधिनियम के दायरे में अधिकांश मुद्दों को संबोधित करने के इरादे को चित्रित करता है।

13. कोई भी पक्ष मध्यस्थता करने में सक्षम किसी भी विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता समझौता कर सकता है। दल, इस तरह में प्रवेश करते समय

समझौतों को धारा भावेन कॉन्स्ट के तहत प्रदान की गई बुनियादी सामग्री को पूरा करने की आवश्यकता है।

टीएचआर। एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

7 मध्यस्थता अधिनियम। मध्यस्थता अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, पक्षों को मध्यस्थता अधिनियम के तहत न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी प्रक्रिया के लिए सहमत होने के लिए एक लचीला ढांचा प्रदान करता है। 14. यदि पक्ष अपने द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने या मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो एक पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत अदालत की सहायता का सहारा ले सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम। 15. इस संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि अपीलार्थी ने समझौते के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया -

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उस स्तर पर न्यायिक चुनौती दिए बिना, एकतरफा रूप से एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करें। प्रत्यर्थी संख्या 1 तब एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

16. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पर आक्षेप लगाने का फैसला किया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका। आम तौर पर बेशक, मध्यस्थता अधिनियम धारा 34 के तहत चुनौती देने का एक तंत्र प्रदान करता है। धारा 34 के शुरुआती चरण में कहा गया है कि 'मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा केवल एक आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

उप-धारा (2) और उप-धारा (3) 'के अनुसार ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए। प्रावधान के तहत होने वाले 'केवल' शब्द का उपयोग अधिनियम को एक पूर्ण संहिता बनाने और प्रक्रिया निर्धारित करने के दो उद्देश्यों को पूरा करता है।

17. किसी भी मामले में, हमारे कानूनी ढांचे में पदानुक्रम यह आदेश देता है कि एक विधायी अधिनियम एक संवैधानिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है। निवेदिता शर्मा बनाम। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, (2011) 14 एससीसी

337 , इस न्यायालय ने कई निर्णयों का उल्लेख किया और कहाः

" 11. हमने संबंधित तर्कों/प्रस्तुतियों पर विचार किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमाणपत्र, अनिवार्य, यथास्थिति वारंट और निषेध की प्रकृति में रिट सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति संविधान की एक मूल विशेषता है।

संविधान और संसदीय विधान द्वारा कम नहीं किया जा सकता है -

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 261। हालाँकि, यह कहना एक बात है कि शक्ति के प्रयोग में

संविधान के अनुच्छेद 226, उच्च [2021] 1 एस. सी. आर. के तहत इसमें निहित।

द्वारा पारित साधन या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण या आदेश एक अर्ध-न्यायिक निकाय/प्राधिकरण, और यह पूरी तरह से एक

कहने के लिए अलग बात है कि प्रत्येक याचिका के तहत दायर किया गया है

यह तय किया गया कानून है कि जब कानून द्वारा एक वैधानिक मंच बनाया जाता है शिकायतों का निवारण, एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए

वैधानिक व्यवस्था की उपेक्षा करना।

(जोर दिया गया)

इसलिए, न्यायाधीश के लिए विवेकपूर्ण है कि वह विवेक का प्रयोग न करे -

अधिनियम के तहत स्थापित प्रक्रिया से परे न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति दें। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण दुर्लभता में करने की आवश्यकता है, जिसमें एक पक्ष को क़ानून के तहत उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है या एक पक्ष द्वारा दिखाया गया स्पष्ट 'बुरा विश्वास' होता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित यह उच्च मानक मध्यस्थता को निष्पक्ष और कुशल बनाने के विधायी इरादे के संदर्भ में है।

18. इस संदर्भ में हम एम/एस का अवलोकन कर सकते हैं। डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वी. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1602, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 और संविधान के अनुच्छेद 227 की परस्पर क्रिया का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया थाः

" 15. इन सब में सबसे महत्वपूर्ण गैर-अवरोधक खंड है।

धारा 5 में कहा गया है कि कुछ भी निहित होने के बावजूद

किसी अन्य कानून में, मध्यस्थता के भाग I के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में

वैधानिक जनादेश भी चेरी पर एक काटने के लिए प्रदान करता है, और दायर की जा रही दूसरी अपील को रोकता है (धारा 37 (2) देखें)

अधिनियम)

16. यह मामला होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाएं दायर की जाती हैं

इनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर किया जाना था।

धारा 37 के तहत अपीलों में पारित आदेश, संपूर्ण मध्यस्थ

प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी और इसके लिए सफल नहीं होगी

कई साल। साथ ही, हम यह नहीं भूल सकते कि अनुच्छेद 227 संविधान के खिलाफ है।

टीएचआर। एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

अधिनियम की धारा 37 के तहत, फिर भी उच्च न्यायालय उपरोक्त वैधानिक नीति को ध्यान में रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने में अत्यंत चौकस रहेगा, ताकि हस्तक्षेप उन आदेशों तक ही सीमित रहे जो इस प्रकार हैं: पारित किए गए
जिनमें अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कमी है।

19. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1 संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपचार का आह्वान करने के लिए अपीलार्थी की ओर से असाधारण परिस्थिति या 'बुरा विश्वास' नहीं दिखा पाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 227 का दायरा व्यापक और व्यापक है, हालांकि, उच्च न्यायालय को इस स्तर पर मध्यस्थता प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि एकमात्र मध्यस्थ के विवादित आदेश के बाद, उसके द्वारा योग्यता के आधार पर एक अंतिम निर्णय दिया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अलग धारा 34 आवेदन में चुनौती दी गई है, जो लंबित है।

20. एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर, मध्यस्थता प्रक्रिया को समय सीमा पर सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और 'अटूटता के सिद्धांत' पर आधारित किया जाता है। पी. राधा बाई बनाम में यह न्यायालय। पी. अशोक कुमार, (2019) 13 एस. सी. सी. 445 ने कहाः

36.3 . तीसरा, धारा 34 (3) अटूटता के सिद्धांत को दर्शाती है।

डॉ. पीटर बाइंडर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन इन UNCITRAL मॉडल लॉ ज्यूरिसडिक्शन, 2nd Edn। ,

देखा गयाः

" पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन केवल उस तारीख के बाद के तीन महीनों के दौरान किया जा सकता है जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केवल तभी जब किसी पक्ष ने अनुच्छेद के तहत पुरस्कार में सुधार या व्याख्या के लिए अनुरोध किया हो

33 क्या तीन महीने की समय सीमा न्यायाधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा करने के बाद शुरू होती है। तीन महीने के समय से यह अपवाद

भय के कारण कार्य समूह में सीमा की आलोचना की गई थी
कि इसका उपयोग देरी करने की रणनीति के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, हालांकि "अलग रखने के लिए आवेदनों के लिए एक अटूट समय-सीमा" की मांग की गई थी

"निश्चितता और समीचीनता" के लिए वांछनीय होने के रूप में [2021] 1 एस. सी. आर.

प्रचलित दृष्टिकोण यह था कि शब्दों को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि

उन्होंने अनुच्छेद 33 के उचित परिणाम को प्रस्तुत किया।

मध्यस्थता पुरस्कारों की "निश्चितता और समीचीनता" के लिए, पुरस्कार को अलग रखने के लिए कोई आधार जो बाद में सामने आता है

धारा 34 (3) के तहत निहित "अटूटता" के सिद्धांत के लिए मध्यस्थता अधिनियम।

(जोर दिया गया)

यदि न्यायालयों को मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति है

अधिनियम के दायरे से परे, फिर प्रक्रिया की दक्षता

कम हो जाएगा।

21. उच्च न्यायालय ने अनुच्छेदों के तहत सीमाओं की सराहना नहीं की

226 और संविधान की धारा 227 और तर्क दिया कि अपीलार्थी ने एकतरफा रूप से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का बीड़ा उठाया था, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 उपचारहीन हो गया था। हालांकि, मध्यस्थता समझौते का एक सादा अध्ययन इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अपीलार्थी ने वास्तव में बिना किसी दुर्भावना के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया था।

22. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इसके खिलाफ कानूनी सहारा नहीं लिया

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति, और इसके बजाय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे के साथ-साथ गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष खुद को प्रस्तुत किया। इस स्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्राकृतिक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

एकमात्र के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत करने के परिणाम

मध्यस्थ, जिसे धारा 34 के तहत एक आवेदन के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, इस अपील के लंबित रहने के दौरान पुरस्कार पहले ही पारित किया जा चुका है, और प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले ही धारा 34 के तहत एक चुनौती को प्राथमिकता दी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखा पाया है, जो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को अनिवार्य करती है।

23. डिवीजन बेंच ने आगे राय दी कि अनुबंध के बीच

पक्षकार एक कार्य अनुबंध की प्रकृति में थे क्योंकि यह अभिनिर्धारित करता था कि अनुबंध के तहत आवश्यकतानुसार ईंटों का निर्माण केवल एक भवेन कॉन्स्ट था।

टीएचआर। एयूटीएच। संकेत प्रेमजीभाई के. शाह बनाम। EXEC। ई. एन. जी. आर. सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। [एन. वी. रमना, जे.]

कार्य अनुबंध से जिसे राज्य सरकार या जनता उपक्रम एक पार्टी है। गुजरात अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत एक कार्य अनुबंध को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में धारा के तहत निर्दिष्ट किसी भी कार्य के निष्पादन से संबंधित माल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध शामिल है। हालांकि, पक्षों के बीच अनुबंध का एक सादा अध्ययन इंगित करता है कि यह ईंटों के निर्माण के साथ-साथ आपूर्ति दोनों के लिए था। महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिर्माण सरलीकरण के लिए अनुबंध एक कार्य नहीं है।

धारा 2 (के) के तहत दी गई परिभाषा के तहत अनुबंध। इसलिए प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अनुबंध, जो प्रकृति में समग्र है, गुजरात अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत एक कार्य अनुबंध के दायरे में आता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसके लिए अनुबंध की आवश्यकता होती है।

व्याख्या, और सबूत का विषय है, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों ने इस मुद्दे के संबंध में विरोधाभासी रुख अपनाया है। यह एक तय कानून है कि ऐसे मामलों में अनुबंधों की व्याख्या आम तौर पर रिट क्षेत्राधिकार में नहीं की जाएगी। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि गुजरात अधिनियम लागू हो सकता है, रिट अदालतों के लिए धारा के तहत मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की याचिका पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

16 मध्यस्थता अधिनियम।

25. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 अनिवार्य रूप से यह आदेश देती है कि अधिकारिता के मुद्दे को पहले न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिए, इससे पहले कि न्यायालय धारा 34 के तहत इसकी जांच करे। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को बिना उपचार के नहीं छोड़ा गया है, और वैधानिक रूप से अपील करने का अवसर प्रदान किया गया है। डीप इंडस्ट्रीज मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 22. इस मामले की एक और विशेषता कुछ महत्वपूर्ण है। के रूप में

ऊपर कहा गया है कि 09.05.2018 पर, एक धारा 16 आवेदन को विद्वान मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें काफी हद तक वही विवाद जिसे उच्च न्यायालय का पक्ष मिला था, उस पर विचार किया गया था। अधिनियम की धारा 16 की कवायद यह है कि जहां धारा 16 का आवेदन खारिज किया जाता है, वहां कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है और धारा 16 के आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होने के कारण चुनौती दी जाती है।

बर्खास्त को अंतिम ए के पारित होने का इंतजार करना चाहिए

इस स्तर पर इसे धारा 34 के तहत उठाया जा सकता है। ”

(एम. पी. एल.

26. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम

राय है कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उपलब्ध अपनी डिस्क का उपयोग करने में गलती की है, अपील की अनुमति है और एफ के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। इससे पहले कि हम यह स्पष्ट करें कि प्रतिवादी संख्या 1 को धारा 34 की कार्यवाही के अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रश्न के संबंध में अनुमत आपत्तियों का जवाब देने की स्वतंत्रता है।बिभूति भूषण बोस